71/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/11/2014	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1/1,1/2 व विप्रार्थी संख्या 3 व 6 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थी/वादी की ओर से खातेदारी अधिकारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.6.2012 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। 05/11/2014 सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा